संख्या-34/2023/358/छप्पन-2023-01(सा0)/2023

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च, 2023

विषय: उ0प्र0 राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति-2023 का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-271/ए0एस0-2023-71/2020 दिनांक 06 फरवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों व वहाँ पर स्थिति परिसम्पत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में नीति का ड्राफ्ट उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-79/2021/1657/छप्पन-2021-02(सा0)/2020 दिनांक18 अगस्त, 2021 द्वारा पूर्व में प्रख्यापित नीति को अवक्रमित करते उ0प्र0 राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति-2023 के निर्धारण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 10 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल ''उ0प्र0 राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति, 2023'' निर्धारित करते हैं ।

3- ''उ0प्र0 राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति, 2023'' के अर्न्तगत नागरिक उड्डयन विभाग धनीपुर (अलीगढ़), सैफई (इटावा), रसूलाबाद (कानपुर देहात), फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमहट (सुल्तानपुर), अन्धऊ (गाजीपुर), पलिया (खीरी), चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), झाँसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा अयोध्या जनपदों में स्थित कुल 17 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों (हैंगर, भवन आदि) को उड्डयन क्षेत्र में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (फ्लाईट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन), एम0आर0ओ0, ए0एम0ई0 प्रशिक्षण एवं टैस्ट बेड तथा एयरो स्पोर्टस, मास्टर कन्सैशनेयर सहित अन्य विमानन सहायक गतिविधियां एवं सेवाएं संचालित करने हेतु चयनित निजी संस्थाओं द्वारा उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है।

4- अत: उक्त नीतिगत निर्णय के अनुरूप प्रश्नगत नीति (अनुलग्नक सहित) की अंग्रेजी प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रश्नगत नीति के सम्बन्ध में जनसामान्य की जानकारी के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने एवं नीति को नागरिक उड्डयन विभाग की बेवसाइट https://cadup.gov.in पर अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0संख्या-34/2023/358(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रश्नगत शासनादेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।

2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।